F 58/17

FORM NO. III

App.-A
Crim-1

फर्द अहकाम

2017 D
00502

(नियम 26)

अज़ अदालत SDO बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

सूरजमल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा .... न. 73/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-5-17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प खेड़लिया मे नयी प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act प्रस्तुत कर ग्राम दौलतपुरा त० बनेड़ा मे प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात स० 167/73 जो ~~रकबा~~ राजस्व जमाबन्दी मे रकबा 3-15 रिकार्ड दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस मे रकबा 2-05 बीघा दर्ज रकार्ड है यानि कि रकबा 1-10 बीघा कम दर्ज रिकार्ड है जिसे दुरुस्त कर नक्शे मे सही तरमीम किये जाने की न्यायालय के समक्ष इस्तदुआ की। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर कैम्प के दौरान मौजूद विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेड़ा जरिये ह० प० खेड़लिया से रिपोर्ट ली जाकर रिकार्ड पर ली गई। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी खेड़लिया का मैरिट पर अध्ययन व परीक्षण किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म मे
	प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा जिस रकबे के लिये प्रकरण मे अनुतोष चाहा हो वह रकबा 1-10 बीघा आरा० 73 खातेदार देवीलाल, रामेश्वर पिता प्यारा नायक की खातेदारी आराजियात मे आया जाना प्राप्त रिपोर्ट मे वर्णित है ऐसी स्थिती मे खातेदार देवीलाल, रामेश्वर पिता प्यारा नायक को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जो कि अपेक्षित है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पैरा पक्षकारान के अभाव मे चलने योग्य नही होकर खारिजे खारिजी के है		
	आदेश	
	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act पक्षकारान के अभाव मे मेन्टनेबल नही होने से खारिज किये जाने के आदेश जारि किये जाते है		
	पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो		
	निर्णय आज राजस्व लोक अदालत शिविर खेडलिया मे सुनाया गया		
	(हस्ताक्षर)		